



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(भारतीय रिजर्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहाय्योगी) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

www.dicgc.org.in

सं. निबीप्रगानि/आईओडी/ 13025 /05.03.01/2011-12
Ref. DICGC/IOD/ 13025 /05.03.01/2011-12

22 फरवरी 2012
February 22, 2012

सभी बीमाकृत बैंक

All Insured Banks

महोदय/महोदया

Dear Sir / Madam

विलंबित बीमा प्रीमियम पर दण्ड ब्याज लगाना -
बैंक दर में परिवर्तन

**Charging of penal interest on delayed
premium – Change in Bank Rate**

निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 15(3) के अंतर्गत यदि कोई बीमाकृत बैंक प्रीमियम की राशि के भुगतान में विलंब करता है तो वह ऐसी राशि पर विलंबित अवधि के लिए 8 प्रतिशत से अनधिक के अतिरिक्त बैंक दर से, जैसा कि निर्धारित किया जाए, निगम को दण्ड ब्याज अदा करने के लिए जिम्मेदार होगा। पुनः निबीप्रगानि विनियमावली, 1961 की धारा 20 के अंतर्गत ब्याज की यह दर बैंक दर के अतिरिक्त 8 प्रतिशत निर्धारित कि गई है।

In terms of Section 15(3) of DICGC Act, 1961, if any insured bank makes default in payment of any amount of premium, it shall, for the period of such default, be liable to pay to the Corporation interest on such amount at such rate not exceeding eight per cent over and above the Bank Rate, as may be prescribed. Further, in terms of Section 20 of the DICGC General Regulations, 1961, the rate of interest is fixed at 8 per cent above the Bank Rate.

2. भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 फरवरी 2012 की प्रेस प्रकाशनी 2011-2012/1298 के माध्यम से बैंक दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9.50 प्रतिशत कर दिया है। कृपया नोट कर लें कि 14 फरवरी 2012 से दण्ड ब्याज की दर 17.5 प्रतिशत होगी।

2. Reserve Bank of India, vide its Press Release 2011-2012/1298 dated February 13, 2012 has increased the Bank Rate from 6 per cent to 9.50 per cent. Please note that the rate of penal interest would be 17.5 per cent w.e.f. February 14, 2012 .

भवदीय

Yours faithfully

नवीन भाटिया

N.K. Bhatia

(एन.के.भाटिया)

(N.K.Bhatia)

महाप्रबंधक

General Manager

प्रधान कार्यालय : भारतीय रिजर्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, पोस्ट बॉक्स सं.4571 मुंबई सेंट्रल, मुंबई- 400 008
टेलिफोन: 022-2306 2160-64, 23014655,23011991, 23084121 फैक्स: 022-23018165,23015662,23021131, ई-मेल : dicgc@rbi.org.in
HEAD OFFICE : Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Post Box No.4571Mumbai Central, Mumbai-400 008
Tel: 022-2306 2160-64, 23014655,23011991, 23084121 Fax: 022-23018165,23015662,23021131, mail: dicgc@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए